कार्यालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला (राज.)

क्रमांक– शे / 33 दिनांक– 03.10.23

: : संशोधित कार्यालय आदेश : :

मैं श्रीमती गरिमा सौदा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 सपठित धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के द्वारा पूर्व में जारी **माह अक्टूबर, 2023 की रिमाण्ड ड्यूटी आदेश शे./ 31 दिनांक 26.09.2023 में प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 24.10.2023 के राजकीय अवकाश को** जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकरणों यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु समीक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य यथा प्रोटोकॉल आदि के लिए इस कार्यालय आदेश के जरिये कॉलम संख्या (2) में अंकित न्यायिक अधिकारीगण को उनके नाम के आगे कॉलम संख्या (4) में अंकित अवकाश की तिथि को एवं नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस को कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्वर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक अपने मुख्यालय पर रहकर और यदि किसी कारण से नियत तिथि से पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती कार्य दिवस का अवकाश घोषित होता है, तो संबंधित अधिकारी को मुख्यालय पर ही रहकर कोविड–19 महामारी से बचाव के संबंधित मानक प्रोटोकॉल को दृष्टिगत रखते हुए , उक्त कार्य सम्पादित करने के लिए अधिकृत करती हूँ।

(1) क्रम संख्या	(2) नाम अधिकारी	(3) पद नाम	(4) दिनांक
1	श्रीमती हुमा कोहरी	न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपालगढ।	24.10.2023

साथ ही, यह भी निर्देर्शित किया जाता है कि यदि कोई पीठासीन अधिकारी , जिन्हें उक्त अवकाश के दिवसों का उक्तानुसार आवश्यक कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है, किन्तु वह अपने मुख्यालय पर (उपार्जित /अर्द्धवैतनिक/रूपान्तरित अवकाश के अतिरिक्त) उपलब्ध है, तो उनके द्वारा उस मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों के उक्तानुसार ही आवश्यक प्रकृति के कार्य निष्पादित किये जावेंगे। यह और भी, निर्देशित किया जाता है कि लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए अभिकथित आरोपी/ आरोपीगण के रिमाण्ड बाबत् उक्त अधिकृत पीठासीन अधिकारी विधिनुसार आदेश पारित करेंगे। साथ ही **एन.डी.पी.एस.** प्रकरणों के रिमाण्ड के संबंध में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला के आदेश क्रमांक स्था0/2022/1090–1104 दिनांक 12.04.2022 के अनुसार आदेश पारित करेंगे।

नोट– यह आदेश दिनांक 24.10.2023 के राजकीय अवकाश'' के लिए ही प्रभावी है, इसके अलावा इस कार्यालय का रिमाण्ड ड्यूटी आदेश शे./ 31 दिनांक 26.09.2023 यथावत् रहेगा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला।
जोधपुर जिला (राजस्थान)